

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या: 15/2012

दायर दिनांक: 19.07.2012

निर्णय दिनांक 23.09.2025

—: अनवान :-

1. श्री मोहन दास पिता वेणीदास जी जाती वैरागी आयु 65 वर्ष मृतक के बजाय
1./1 किशनदास पिता मोहन दास वैष्णव
2. पन्ना दास पिता वेणीदास जी जाती वैरागी आयु 55 वर्ष
निवासीयान पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द

— प्रार्थी/निगराकारगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत पीपरडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. सोहन दास उर्फ सोहन लाल पिता श्री मियाराम दास जी वैरागी आयु 60 वर्ष
निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित:-

- 1— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2— अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
- 3— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द में निगराकार के हक आधिपत्य एवं कब्जेशुदा एक पुश्तैनी बाडा स्थित है जिसके पूर्व में कन्नीराम व घासीराम गुर्जर का प्लोट, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में प्रभूलाल वैष्णव का प्लोट व दक्षिण में कन्नीराम व घासी जी गुर्जर का रास्ता स्थित



Handwritten signature

है। उक्त बाडा प्रार्थीगण निगराकार को उनके पिता श्री वेणीदास जी से प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय श्री वेणीदास जी के तीन पुत्र थे जिनमें प्रार्थीगण निगराकार के अलावा श्री देवीदास पिता वेणी दास जी वैरागी शामिल है जो वर्तमान में ग्राम सनवाड राजनगर में निवास कर रहे हैं। उक्त बाडे में से प्रार्थीगण/निगराकार के भाई श्री देवीदास पिता वेणी दास जी वैरागी ने अपने हिस्से के भूखण्ड में से 31 फिट चौड़ा व 31 फिट लम्बा भाग विपक्षी संख्या दो को आज से करीब 9 वर्ष पूर्व उपयोग उपभोग करने व रहने के लिये प्रदान कर दिया शेष भूखण्ड जो प्रार्थीगण/निगराकार के हिस्से का था प्रार्थीगण/निगराकार के पास होकर प्रार्थीगण/निगराकार इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीलीभगत कर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का एक फर्जी पट्टा धोखाधडी पूर्वक प्रार्थीगण/निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उनका भूखण्ड हडपने की नियत से बना लिया तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 20/10/2004 को जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से दुखी व पीड़ित होकर यह निगरानी याचिका आप न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत है कि विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 20/10/2004 को जारी पट्टा व इसे जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 5 दिनांक 20/10/2004 अवैध विधि विरुद्ध व न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है वह भूखण्ड प्रार्थीगण का पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण के हक आधिपत्य एवं कब्जे शुदा है तथा उक्त भूखण्ड में पुराने खण्डर नुमा मकानात आज भी बने हुए हैं। विपक्षी संख्या एक द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि का विक्रय विलेख के नाम से जारी किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड विपक्षी संख्या एक के हक आधिपत्य का ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख विपक्षी संख्या एक को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी करने का अधिकार ही नहीं है। विपक्षीगण ने अपने द्वारा किये गये अवैध कृत्य की जानकारी अन्य लोगों को नहीं हो सके इस कारण जान बुझ कर उक्त पट्टे को पंजियन भी नहीं कराया है इस प्रकार बिना पंजियन के भी उक्त पट्टा काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक ने उक्त पट्टे में सबसे उँची बोली विपक्षी संख्या दो द्वारा बोली जाना बताया है जबकि न तो विपक्षी संख्या एक द्वारा कभी भी उक्त पट्टा जारी करने या भूखण्ड का विक्रय करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये न ही कभी बोली लगायी गई तथा न ही विपक्षी संख्या एक को उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का अधिकार ही था। विपक्षी ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला बाला बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह पट्टा कर दिया जो अवैध व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके पश्चात विपक्षी संख्या दो ने उक्त अवैध पट्टे के माध्यम से बाला बाला बिना प्रार्थीगण की जानकारी उक्त भूखण्ड के प्रार्थीगण के हिस्से को दिनांक 21/05/2012 नरोत्तम पिता भंवर लाल लोहार को विक्रय कर दिया है जिसके द्वारा उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण से कब्जा माँगने पर प्रार्थीगण का उक्त सम्पूर्ण प्रकरण एवं विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा/विक्रय विलेख जारी करने की जानकारी हुई। इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उक्त पट्टे, प्रस्ताव व उक्त पट्टे से सम्बन्धीत पत्रावली की



deh

नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 23/05/2012 को आवेदन किया जिस पर विपक्षी संख्या एक के ग्राम सेवक पदेन सचिव ने उक्त दस्तावेज प्रदान नहीं किये और कहा की इस सम्बन्ध में कुछ दस्तावेज अपूर्ण है जिनकी पूर्ती करनी है, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/06/2012 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ सुगम में शिकायत दर्ज करायी गयी व सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उक्त दस्तावेज प्राप्त करने हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त दस्तावेज प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। इस पर आज से दो दिन पूर्व विपक्षी संख्या एक के ग्राम सेवक पदेन सचिव ने केवल पट्टा/विक्रय विलेख की प्रती प्रदान की गई जिसे प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा यह याचिका तैयार करवा कर प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा दिनांक 20/10/2004 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा/विक्रय विलेख व संकल्प संख्या 5 दिनांक 20/10/2004 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 25.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी तथा ग्राम पंचायत पीपरडा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20/10/2004 वैध एवं सही है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं की है। भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 का ही हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य होने से एवं विपक्षी का मकान निर्मित होने से विपक्षी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सही एवं वैध पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया है न ही जारी किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा तो विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उसके मकान एवं भूखण्ड के संबंध में जिस पर विपक्षी संख्या 2 का ही कब्जा आधिपत्य है, उसका पट्टा जारी किया गया है। भूखण्ड में प्रार्थीगण के कोई हक अधिकार नहीं है, न ही मकान में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार है। सारे हक अधिकार विपक्षी संख्या 2 को ही प्राप्त है इसलिये विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह सही है। उक्त भूमि अन्दर हल्का आबादी की है जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त है तथा विपक्षी संख्या 2 का भूखण्ड पर हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य होने से व विपक्षी संख्या 2 का इस पर मकान बना होने से उसके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को पंजीयन कराने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिये पंजीयन नहीं कराया गया। भूखण्ड पर विपक्षी का ही हक अधिकार है और इसी हक अधिकार को विपक्षी



Handwritten signature or initials.

को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। विपक्षी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन किया है और नियमानुसार वैध पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं की गयी है। विपक्षी संख्या 2 ने अपने हक अधिकार कब्जा आधिपत्यशुदा मकान एवं भूखण्ड को नरोत्तम पिता भंवरलाल लूहार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया है एवं इसका विधिवत पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द के यहां पर करवाया गया है और मौके पर कब्जा आधिपत्य सुपुर्द किया है। प्रार्थीगण को मकान एवं भूखण्ड के विक्रय की जानकारी शुरू से रही है लेकिन प्रार्थीगण ने जानबूझकर इरादतन विपक्षी संख्या 2 द्वारा विक्रय किये गये मकान व भूखण्ड के कंता नरोत्तम पिता भंवरलाल लूहार को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि इस प्रकरण में स्वयं प्रार्थीगण के अनुसार ही कानूनन आवश्यक पक्षकार होने से इसे पक्षकार बनाया जाना निहायत आवश्यक था और उसके पक्षकार के अभाव में कानूनन यह निगरानी याचिका भी चलने योग्य नहीं है। केवल विपक्षी द्वारा अपना मकान व भूखण्ड बेचने के बाद प्रार्थीगण ने विपक्षी को नाजायज रूप से परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अस्वीकार है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण की निगरानी याचिका भारी खर्च पर खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/ निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द में निगराकार के हक आधिपत्य एवं कब्जेशुदा एक पुश्तैनी बाडा स्थित है उक्त बाडा प्रार्थीगण निगराकार को उनके पिता श्री वेणीदास जी से प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय श्री वेणीदास जी के तीन पुत्र थे जिनमें प्रार्थीगण निगराकार के अलावा श्री देवीदास पिता वेणी दास जी वैरागी शामिल है जो वर्तमान में ग्राम सनवाड राजनगर में निवास कर रहे हैं। उक्त बाडे में से प्रार्थीगण/ निगराकार के भाई श्री देवीदास पिता वेणी दास जी वैरागी ने अपने हिस्से के भूखण्ड में से 31 फिट चौडा व 31 फिट लम्बा भाग विपक्षी संख्या दो को आज से करीब 9 वर्ष पुर्व उपयोग उपभोग करने व रहने के लिये प्रदान कर दिया शेष भूखण्ड जो प्रार्थीगण/निगराकार के हिस्से का था प्रार्थीगण/निगराकार के पास होकर प्रार्थीगण/निगराकार इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीलीभगत कर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का एक फर्जी पट्टा धोखधडी पुर्वक प्रार्थीगण/निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उनका भूखण्ड हडपने की नियत से बना लिया तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 20/10/2004 को जारी कर दिया। विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 20/10/2004 को जारी पट्टा व इसे जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 5 दिनांक 20/10/2004 अवैध विधि विरुद्ध व न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है वह भूखण्ड प्रार्थीगण का पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण के हक आधिपत्य एवं कब्जे शुदा है तथा उक्त भूखण्ड में पुराने खण्डर नुमा मकानात आज भी बने हुए है। विपक्षी संख्या एक द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है



धर

वह आबादी भूमि का विक्रय विलेख के नाम से जारी किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड विपक्षी संख्या एक के हक आधिपत्य का ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख विपक्षी संख्या एक को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी करने का अधिकार ही नहीं है। विपक्षी संख्या एक ने उक्त पट्टे में सबसे उँची बोली विपक्षी संख्या दो द्वारा बोली जाना बताया है जबकि न तो विपक्षी संख्या एक द्वारा कभी भी उक्त पट्टा जारी करने या भूखण्ड का विक्रय करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये न ही कभी बोली लगायी गई तथा न ही विपक्षी संख्या एक को उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का अधिकार ही था। विपक्षी ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला बाला बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह पट्टा कर दिया जो अवैध व विधि के सिद्धान्तो के विपरीत है। इसके पश्चात विपक्षी संख्या दो ने उक्त अवैध पट्टे के माध्यम से बाला बाला बिना प्रार्थीगण की जानकारी उक्त भूखण्ड के प्रार्थीगण के हिस्से को दिनांक 21/05/2012 नरोत्तम पिता भंवर लाल लोहार को विक्रय कर दिया है जिसके द्वारा उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण से कब्जा माँगने पर प्रार्थीगण का उक्त सम्पूर्ण प्रकरण एवं विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा/विक्रय विलेख जारी करने की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा दिनांक 20/10/2004 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा/विक्रय विलेख व संकल्प संख्या 5 दिनांक 20/10/2004 को निरस्त किया जावे।

अधिकवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20/10/2004 वैध एवं सही हैं। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं की है। भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 का ही हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य होने से एवं विपक्षी का मकान निर्मित होने से विपक्षी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सही एवं वैध पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि अन्दर हल्का आबादी की है जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त हैं तथा विपक्षी संख्या 2 का भूखण्ड पर हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य होने से व विपक्षी संख्या 2 का इस पर मकान बना होने से उसके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। केवल विपक्षी द्वारा अपना मकान व भूखण्ड बेचने के बाद प्रार्थीगण ने विपक्षी को नाजायज रूप से परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

मैंने विद्वान अधिकवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा जारी तथाकथित पट्टा 9954 पुस्तक संख्या 17 दिनांक 20.11.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पीपरडा की पत्रावली तलब की जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय को यह सूचना दी गई की उस पट्टे से संबंधित मूल



धर

पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बाद में दिनांक 05.08.2024 को जो पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिसमें एक सादे कागज पर श्री मोहनलाल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पीपरड़ा को यह आवेदन पेश किया गया कि उसके पास रहने का कोई मकान नहीं है। इसलिए उसको एक प्लोट दिलवाया जाए तथा एक 50X50 का एक नक्शा भी उसमें लगाया गया है। इसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं है। जो विवादित पट्टे की प्रति न्यायालय में पेश की गयी है। वह पट्टा नियम 167(1) के अंतर्गत जारी किया जाना जाहिर हुआ है।

हमने पंचायतीराज नियमावली 1996 के नियम 167(1) का अध्ययन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 का नियम 167(1) के अनुसार नियम 153 में उपबन्धित अनुसार संदाय कर दिये जाने पर नियम 154 उपबन्धित अनुसार विक्रय की पुष्टि कर किये जाने और नियम 166 के अधीन अपील यदि कोई हो तो निपटा दिये जाने में या यदि कोई अपील नहीं की गयी हो तो उसके लिए विहित समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाला प्रारूप 23 के अनुसार विलेख पंचायत की ओर से निष्पादित किया जाएगा। तथा जो नियम 153 है वह केवल खाली भूखण्डों की बोली के संबंध में है अर्थात् रिक्त भूखण्डों को नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने पर नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने पर नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने पर तथा राशि जमा होने पर नियम 167(1) के तहत पट्टा जारी किया जाता है। यह पट्टा मात्र 200 रुपये में जारी किया गया था। यह जो 200 रुपये भी क्रेता ने राशि कब जमा करवाई, रसीद संख्या क्या है इन सब का भी पट्टे पर कहीं अंकन नहीं किया गया है। जबकि नियम 167(1) नीलामी द्वारा बेचे गये भूखण्डों के बारे में ही पट्टे जारी करने का प्रावधान करता है। जबकि नियम 156 प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि के अन्तरण के बारे में प्रावधान करता है। परन्तु उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा ग्राम की विद्यमान वर्तमान कीमत के रूप में संसुचित कीमत से नीचे की दर पर अंतरित नहीं की जावेगी।

प्रश्नगत पट्टे से यह प्रमाणित पाया कि क्रेता की बोली सबसे ऊंची होने के कारण स्वीकार कर ली गई है और मात्र 200 रुपये में यह पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त भूमि की बाजार दर तथा उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत दर क्या थी। विकास अधिकारी द्वारा ग्राम की वर्तमान कीमत क्या संसुचित की गयी थी। किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं होना पाया गया है। अतः तथाकथित पट्टा संख्या 9954 पुस्तक संख्या 17, जो ग्राम पंचायत पीपरड़ा द्वारा जारी होना जाहिर होता है। इस संबंध में न तो ग्राम पंचायत में मूल पत्रावली पायी गयी है। तथा यह भूखण्ड भी नियम 167(1) के अंतर्गत नीलामी द्वारा नहीं बेचा गया है। तथा उसे पट्टा नियम 167(1) के अंतर्गत दिया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत पीपरड़ा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही किसी अविवक्त भूमि के आधार पर भूखण्ड का जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र विक्रय कर भी दिया हो तो उसके कारण इस पट्टे को विधिक करार दिये जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। पंजीकरण मात्र किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को अंतरित किये जाने का दस्तावेज है।



John

यदि विक्रेता के स्वयं के अधिकार उस भूखण्ड में नहीं है तो उस पंजीयन पत्र के आधार पर वह अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार कर ग्राम पंचायत पीपरड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 9954 पुस्तक संख्या 17 दिनांक 20.11.2004 को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर तथाकथित पट्टा संख्या 9954 पुस्तक संख्या 17 दिनांक 20.11.2004 का निरस्त किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत पीपरड़ा द्वारा दिनांक 05.08.2024 को भेजी गई पत्रावली मय निर्णय की प्रति के लौटायी जावे।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

